:–10/2000

पलाल पिता कालु जी ब्राम्हण के विधिक उत्तराधिकारी निम्न हैः–
ाबाई पिता स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ
ाबाई पिता स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ
ाललाल पिता स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ वादीगण

बनाम

पिता नन्दकिशोर ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तहसील बेगूॅ प्रतिवादी

निर्णय दावा अ.धा. 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ख्या :– 38/2000

पिता नन्दकिशोर ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तहसील बेगूॅ वादी

बनाम

ल मृतक के बजाय :–
/1– सीताबाई पिता स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ
/2– राधाबाई पिता स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ
/3– गोपाललाल पिता स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ
(पूर्व में ही प्र.सं. 2 के रूप में पत्रावली में संयोजित है)
– गोपालाल पुत्र स्व. रूपलाल ब्राम्हण निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ
–सुन्दरलाल पिता मोती कुम्हार निवासी पाछून्दा तह0 बेगूॅ प्रतिवादीगण

निर्णय दावा अ0धा0 92ए–188–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से 10/2000 अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा की उपस्थिती तथा तिवादीगण की ओर से श्री सुरेशचन्द्र टेलर, श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी की उपस्थिती में तथा वा संख्या 38/2000 अधिवकता श्री सुरेश चन्द्र टेलर एवं श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी की पस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा की उपस्थिती में दोनो ही ाद पत्रो का निर्णय एक साथ आज दिनांक 05.10.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश न्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूॅ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है तथा वाद अ0धा0 92ए–188'183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से किये जाते हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद संख्या 10/2000 व अनवान रूपलाल बनाम ... वाद अ.धा. 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य ... के आधार पर सिद्ध नहीं होने से दावा एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। तथा दावा संख्या 38/2000 व अनवान नंद... बनाम रूपलाल वगै. वाद अ.धा. 92ए–188–183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार

है, तथा ग्राम पाछून्दा की आराजी संख्या 409/1 रकबा 0.71 हैक्टर भूमि से का कब्जा हटाकर उन्हें बेदखल करते हुए कब्जा वादी नंदलाल पिता नंदकिशोर सी पाछून्दा के सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही प्रतिवादीगण थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे में आई उनकी ी कृषि आराजी संख्या 409/1 रकबा 0.71 हैक्टर भूमि पर किसी प्रकार की न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी नौकर एजेन्ट या रिश्तेदार से करावें वादी शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दें। दावा डिक्री जारी होकर उसकी पालना हेतु तहसीलदार, बेगूं को भेजी जावें।

डिक्री आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

रिश्ता/2023/440 दिनांक :- 5.10.23
की प्रति तहसीलदार, बेगूं को पालनार्थ दी जाती हैं।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:26:51 IST
Reason: SelfAttested